Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 128-2025/Ext.] चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 23 जुलाई, 2025
(श्रावण 1, 1947 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग—I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग—II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग—III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	अधिसूचना संख्या का०आ० 64/के०अ० 46/2023/धा० 2/2025, दिनांक 23 जुलाई, 2025— हरियाणा राज्य में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो पुलिस थाना बनाने बारे।	3009—3010
भाग—IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं।	

भाग—III

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 23 जुलाई, 2025

संख्या का०आ० 64/के०अ० 46/2023/धा० 2/2025.— भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 46) की धारा 2 के खण्ड (प) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, गृह विभाग, अधिसूचना संख्या का0 आ0 27/के0 अ0 2/1974/धा0 2/2024, दिनांक 24 जून, 2024 के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित अपराधों का अन्वेषण करने के लिए हरियाणा राज्य में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो पुलिस थाना बनाने की घोषणा करते हैं, जिसकी अधिकारिता उनके अपने—अपने राजस्व जिला में होगी, अर्थातः—

(क) भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 61 (2), 303 (2), 318, 326 (क), 326 (ख), 336, 338 तथा 340 के अधीन दंडनीय अपराध;

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का केन्द्रीय अधिनियम 36) की धारा 135 से 141 तथा 150 के अधीन दंडनीय अपराध;

(ग) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम 67) की धारा 21 और हरियाणा लघु खनिज रियायत, खनिज स्टाकिंग, परिवहन और अवैध खनन निवारण नियम, 2012 के नियम 104 के अधीन दंडनीय अपराध;

(घ) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59) की धारा 177, 177—क, 178, 179, 180, 181, 182, 182—क (2), (3) तथा (4), 182—ख, 183 (1), 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 192—क, 192—ख(2), (3) तथा (4), 193(1), 194, 194—क, 194—ख, 194—ग, 194—घ, 194—ड़, 194—च, 196, 197, 198, 198—क(2), 199—क(2) तथा 201 के अधीन दंडनीय अपराध;

(ड.) हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1) की धारा 61 (1), 63,68—क तथा धारा 72—क के खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन दंडनीय अपराध;

(च) हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) की धारा 3,6,7,9,12,12—क तथा 12—ख के अधीन दंडनीय अपराध;

(छ) हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8) की धारा 10,11,11—क, 11—ख तथा 12 के अधीन दंडनीय अपराध;

(ज) हरियाणा नई राजधानी (परिधि) नियन्त्रण अधिनियम, 1952 (1953 का पंजाब अधिनियम 1) की धारा 12—क, 12—ख तथा 12—ग के अधीन दंडनीय अपराध।

डा० सुमिता मिश्रा,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Notification

The 23rd July, 2025

No. S.O. 64/C.A. 46/2023/S. 2/2025.— In exercise of the powers conferred by clause (u) of section 2 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act 46 of 2023) and in suppression of the Haryana Government, Home Department, notification No. S.O.27/C.A.2/1974/S.2/2024 dated, the 24th June 2024, the Governor of Haryana hereby declares the creation of Haryana State Enforcement Bureau Police Station at each district Headquarter of the State in their respective revenue district jurisdiction to investigate the following offences, namely:-

(a) offences punishable under sections 61(2), 303(2), 318, 326(a), 326(b), 336, 338 and 340 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Central Act 45 of 2023);

(b) offences punishable under sections 135 to 141 and 150 of the Electricity Act, 2003 (Central Act 36 of 2003);

(c) offences punishable under section 21 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Central Act 67 of 1957) and rule 104 of the Haryana Minor Mineral Concession, Stocking and Transportation of Minerals and Prevention of Illegal Mining Rules, 2012;

(d) offences punishable under sections 177, 177-A, 178, 179, 180, 181, 182, 182-A(2), (3) and (4), 182-B, 183(1), 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 192-A, 192-B(2), (3) and (4), 193(1), 194, 194-A, 194-B, 194-C, 194-D, 194-E, 194-F, 196, 197, 198, 198-A(2), 199-A(2) and 201 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988);

(e) offences punishable under sections 61(1), 63, 68-A and clauses (a) and (b) of section 72-A of the Haryana Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914);

(f) offences punishable under sections 3, 6, 7, 9, 12, 12-A and 12-B of the Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963);

(g) offences punishable under sections 10, 11, 11-A, 11-B and 12 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975);

(h) offences punishable under sections 12-A, 12-B and 12-C of the Haryana New Capital (Periphery) Control Act, 1952 (Punjab Act 1 of 1953).

DR. SUMITA MISRA,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Home Department.

11990—L.R.—H.G.P., Pkl.